



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 395]
No. 395]नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 2004/भाद्र 19, 1926
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2004/BHADRA 19, 1926संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 582(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 6 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों और अंकीय चिन्हों का उपयोग) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) अभिप्रेत है;

(ख) “इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख” से डाटा, अभिलेख, या उत्पादित डाटा, प्रतिबिंब या इलैक्ट्रॉनिक रूप में भंडारित प्राप्त या भेजी गई ध्वनि या माइक्रो फिल्म या कंप्यूटर उत्पादित सूक्ष्मका अभिप्रेत है;

(ग) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. प्ररूप, आवेदन या कोई अन्य दस्तावेज फाइल करना.—अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट कोई प्ररूप, आवेदन या कोई अन्य दस्तावेज उसके द्वारा विनिर्दिष्ट साफ्टवेयर का उपयोग करते हुए समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय या अभिकरण में फाइल किया जा सकेगा और ऐसा कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय या अभिकरण ऐसे साफ्टवेयर का उत्पादन करते समय इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख की निम्नलिखित विशिष्टियों को हिसाब में लेगा, अर्थात् :—

(क) जीवन काल;

(ख) परिरक्षणता;

(ग) अभिगम्यता;

(घ) पठनीयता;

(ङ) संबद्ध सूचना की बाबत व्यापकता;

(च) प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा के निबंधनों के अनुसार साक्षिक मूल्य;

(छ) नियंत्रित नश्वरता; और

(ज) संबर्धनता।

4. **कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र, मंजूरी या अनुमोदन जारी या मंजूर करना.**—अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र, मंजूरी या अनुमोदन, वह चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, नियम 3 के अधीन विनिर्दिष्ट साफ्टवेयर का उपयोग करके जारी या मंजूर की जा सकेगी।

5. **फीस या प्रभारों का संदाय और प्राप्ति.**—अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के फाइल, सृजन, या जारी किए जाने के लिए किसी फीस या प्रभारों की प्राप्ति का संदाय इलेक्ट्रॉनिक रूप में चैक द्वारा किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "इलेक्ट्रॉनिक रूप में चैक" का वही अर्थ है जो परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 6 के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में है।

[फा. सं. 9(7)/2003-ईसी]

श्री एस. लक्ष्मीनारायणन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2004

G.S.R. 582(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of Section 87, read with sub-sections (1) and (2) of Section 6 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Information Technology (Use of Electronic Records and Digital Signatures) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(b) "electronic record" means data, record or data generated, image or sound stored, received or sent in an electronic form or micro film or computer generated micro fiche;

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Filing of form, application or any other document.**—Any form, application or any other document referred to in clause (a) of sub-section (1) of Section 6 of the Act may be filed with any office, authority, body or agency owned or controlled by the appropriate Government using the software specified by it and such office, authority, body or agency shall, while generating such software, take into account the following features of the electronic record, namely :—

(a) life time;

(b) preservability;

(c) accessibility;

(d) readability;

(e) comprehensibility in respect of linked information;

(f) evidentiary value in terms of authenticity and integrity;

(g) controlled destructibility; and

(h) augmentability.

4. **Issue or grant of any licence, permit, sanction or approval.**—Any licence, permit, sanction or approval whatever name called referred to in clause (b) of sub-section (1) of Section 6 of the Act may be issued or granted by using the software specified under rule 3.

5. **Payment and receipt of fee or charges.**—The payment of receipt of any fee or charges for filing, creation or issue of any electronic record under clause (a) of sub-section (2) of Section 6 of the Act may be made in a cheque in the electronic form.

Explanation.—For the purposes of this rule, "a cheque in the electronic form" has the meaning assigned to it in clause (a) of Explanation 1 to Section 6 of the Negotiable Instrument Act, 1881 (26 of 1881).

[F.No. 9(7)/2003-EC]

S. LAKSHMINARAYANAN, Addl. Secy.